

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग


जी-3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर
क्रमांक: एफ.11(39)()अत्याचार निवारण/सान्याअवि/19/ 34848 जयपुर, दिनांक 13 जून, 2019

आदेश

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लागू किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम-16 के तहत माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार विभाग(अनु.3) के आदेश क्रमांक क्रमांक प.6(2)प्र0सु0/अनु-3/ 2007/79739 जयपुर, दिनांक 23.12.2016 के द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का पुनर्गठन किया गया है। उक्त राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति में निम्नांकित माननीय विधानसभा सदस्यों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर मनोनयन किया जाता है:-

क्र.सं.	मा0 विधायक का नाम	विधानसभा क्षेत्र
अनुसूचित जाति		
1	श्री पानाचन्द मेघवाल	बांरा-अटरू (अजा) जिला बांरा
2	डॉ. पदमाराम	चौहटन (अजा) जिला बाडमेर
3	श्री वेद प्रकाश सोलंकी	चाकसू (अजा) जिला जयपुर
4	श्री जे.पी. चन्देलिया	पिलानी (अजा) जिला झुंझुनू
5	श्री हीराराम	बिलाडा (अजा) जिला जोधपुर
6	श्रीमती मंजु देवी	जायल (अजा) जिला नागौर
7	श्री प्रशान्त बैरवा	निवाई (अजा) जिला टोंक
अनुसूचित जनजाति		
1	श्री गणेश घोघरा	डुंगरपुर (अजजा) जिला डुंगरपुर
2	श्रीमती इन्द्रा	बामनवास (अजजा) जिला सवाईमाधोपुरा

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(सांवरमल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

34247-68

क्रमांक: एफ.11(39)()अत्याचार निवारण/सान्याअवि/19/

जयपुर, दिनांक 13 जून, 2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह/वित्त/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त समिति सदस्य श्री/श्रीमती.....
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/गृह विभाग/ वित्त विभाग/ विधि विभाग/संसदीय कार्य विभाग/जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8. डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस., नोडल अधिकारी, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक/सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राजस्थान जयपुर/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अहमदाबाद
12. निदेशक, अभियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, लाल कोठी जयपुर।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, राजस्थान पुलिस, लाल कोठी जयपुर।
15. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर.....
16. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त.....
17. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
18. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
19. गार्ड फाईल।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव